जीएसटी सेवा केंद्र के लिए प्रारूप मार्गदर्शन मैनुअल

A CBIC Initiative For Serving Taxpayers With A Smile

केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
आयुक्तालय इंदौर

जीएसटी सेवा केंद्र के लिए प्रारूप मार्गदर्शन मैनुअल

A CBIC Initiative For Serving Taxpayers With A Smile

केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
आयुक्तालय इंदौर

जीएसटी सेवा केंद्र
के लिए
मार्गदर्शन मैनुअल

मार्गदर्शन मैनुअल संस्करण: 1.0

संस्करण 1.0 के प्रकाशन की तिथि: 10.07.2017

संस्करण 2.0 के प्रकाशन की तिथि: 24 .04.2023

नए संस्करणों की आवधिकता: छह मासिक

मार्गदर्शन मैनुअल स्वामी: प्रधान आयुक्त

सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर

इस मार्गदर्शन मैनुअल में सुधार के लिए या इसमें अनजाने में हुई त्रुटियों में संशोधन के लिए, सभी सुझावों, यदि कोई हो, का स्वागत है। इन्हें ***cgst-indoreskendra@gov.in*** *पर भेजा जा सकता है।*

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	जीएसटी सेवा केंद्र की भूमिका	05
2	जीएसटी सेवा केंद्र में करदाता सेवाएं	06-10
3	महत्वपूर्ण कार्यविधि : भुगतान, धन वापसी (रिफंड), आईटीसी, रिटर्न, फॉर्म और क्यूआरएमपी योजना।	11-24
4	जीएसटी आयुक्तालय का क्षेत्राधिकार	25-30
5	अपने निकटतम जीएसटी सेवा केंद्र का पता लगाएँ और संपर्क करें	31
6	जीएसटी सेवा केंद्र के अधिकारी और कार्य-समय	32
7	महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर	33
8	मार्गदर्शन मैनुअल का संशोधन	34

प्रस्तावना

30 जून/1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को स्वतंत्र भारत के इतिहास में एकमात्र सबसे बड़ा कर सुधार अर्थात माल और सेवा कर (जीएसटी) माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के एक विशेष संयुक्त सत्र में लागू किया गया था। इसे भारत का 'आर्थिक एकीकरण' कहा जा सकता है, क्योंकि इसने भारत के सारे राज्यों के बीच सारी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया, जिससे पूरे देश में एक साझा बाजार का निर्माण हुआ। यह हमारे महान नेता, 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए देश के 'भौगोलिक एकीकरण' की याद दिलाता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के शुभारंभ पर अपने ऐतिहासिक भाषण में इसे 'अच्छा और सरल कर' कहा और यह भी कहा कि इसे वास्तव में ऐसा बनाने में सीबीआईसी के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीएसटी सेवा केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक कदम है। ये सेवा केंद्र करदाताओं को जीएसटी को समझने, अपनाने और कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता / मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

यह मार्गदर्शन पुस्तिका केंद्रीय माल और सेवा कर आयुक्तालय, इसके अधिकारियों और सेवा केंद्रों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। यह मेनुअल **श्री डॉ. दिनेश कुमार बिसेन, अपर आयुक्त और उनके अधिकारियों की टीम** द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। मैं इन अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका यह कार्य अन्य अधिकारियों को भी जीएसटी को प्रत्येक करदाता के लिए 'अच्छा और सरल कर' बनाने की दिशा में पहल करने के लिए प्रेरित करेगा।

पार्थ रायचौधुरी
प्रधान आयुक्त
केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय इंदौर

1. जीएसटी सेवा केंद्रों की भूमिका

जीएसटी एक अमूलचूल अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जो इससे पहले देश में पहले कभी नहीं किया गया। कानून और प्रक्रियाओं को करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अत्यंत सावधानी से तैयार किया गया है, सरकार नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं को साथ लेकर चलाने के महत्व को समझती है।

जीएसटी सेवा केंद्र वास्तव में सुविधा केंद्र हैं, जो करदाताओं को प्रसन्नता के साथ सेवा देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली की पहल पर स्थापित किए गए हैं।

जीएसटी सेवा केंद्र को जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में छोटे और मध्यम व्यापारियों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी करदाताओं की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीएसटी सेवा केंद्र का उद्देश्य कर प्रशासकों और करदाताओं के बीच भरोसेमंद बातचीत के माध्यम से कानूनी अनुपालन को बढ़ाना है।

जीएसटी सेवा केंद्र का संचालन समर्पित जीएसटी सेवा अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की गहन देखरेख में कार्य करते हैं। जीएसटी सेवा अधिकारियों को विशेष रूप से जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और सूचना प्रोद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है और करदाताओं को उनके कानूनी दायित्वों को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहायता करना ही उनका दायित्व होता है।

अपनी शंकाओं के निवारण के लिए या कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए करदाताओं को जीएसटी सेवा केंद्रों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे दूरभाष या ई-मेल के माध्यम से भी जीएसटी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

जीएसटी सेवा केंद्र का उद्देश्य जीएसटी से संबंधित किसी भी समस्या या शंका के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप' स्थान प्रदान करना है।

1. जीएसटी सेवा केंद्र पर करदाता सेवाएं

इंदौर आयुक्तालय जीएसटी सेवा केंद्र: करदाताओं को जीएसटी में स्थानांतरित करने और उसके बाद जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आयुक्तालय मुख्यालय में स्थित जीएसटी सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है:

क. आवश्यक सूचना विवरणिका, दस्तावेज, ट्रेड नोटिस, प्रपत्र आदि प्रदान करना;

ख. कानूनी प्रावधानों, प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को समझने में करदाताओं की सहायता करना;

ग. आयुक्तालय में किसी भी विभागीय प्राधिकारी के पास लंबित उनके आवेदनों, संदर्भों आदि के शीघ्र निपटान में सहायता करना;

घ. जीएसटीएन / डीजी सिस्टम्स, सीबीआईसी से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु करदाताओं को सुविधा प्रदान करना; और

ङ. इसके संबंध में करने के लिए निर्धारित 'करदाता संतुष्टि फॉर्म' के सावधानीपूर्वक विश्लेषण द्वारा सुधार की संभावनाओं की पहचान करते हुए, जीएसटी के तहत करदाताओं को संतुष्ट करना, जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।

इस आयुक्तालय के जीएसटी सेवा केंद्र में करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विस्तृत सूची इस प्रकार है:

(i) **आपूर्ति पर जीएसटी की देयता**: जीएसटी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति; ऐसी आपूर्तियों की करदेयता, छूट का निरूपण, यदि कोई हो पर लगाया जाता है, जिसके लिए कोई भुगतान किया गया हो और जो व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए हो।

(ii) **क्षेत्राधिकार:** "अपने जीएसटी क्षेत्राधिकार को जानें" और कार्य की विभिन्न मदों के लिए संबंधित जीएसटी अधिकारियों का कार्य-स्थल और संपर्क विवरण। इसी प्रकार की जानकारी राज्य जीएसटी नोडल अधिकारियों के संबंध में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) **पंजीकरण:** मौजूदा करदाताओं का स्थानांतरण, पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और प्रपत्र, पंजीकरण हेतु सहायक दस्तावेज, पंजीकरण में संशोधन, पंजीकरण प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं को हल करना, यदि कोई हो, पंजीकरण रद्द करना, पंजीकरण प्राप्त न करने के निहितार्थ और जुर्माना।

(iv) **सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी:** अर्थ, कार्यक्षेत्र, प्रयोज्यता और वैधानिक प्रावधानों के संबंध में; कर योग्य क्षेत्र; सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के बीच अंतर; अंतर-राज्य आपूर्ति और राज्य के अंदर आपूर्ति का अर्थ; माल/सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर रिवर्स चार्ज मेकेनिज़्म और देयता; जीएसटी संग्रह के लिए कर प्रशासक।

(v) **सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी की दरें:** आयातित वस्तुओं सहित राज्य के भीतर और अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरें।

(vi) **कर छूट:** जीएसटी के भुगतान से विभिन्न प्रकार की छूट; इसकी पात्रता शर्तें।

(vii) **कंपोज़ीशन योजना:** कार्यक्षेत्र और पात्रता; रिकॉर्ड और रिटर्न; इनपुट पुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकार्यता।

(viii) **सीजीएसटी/आईजीएसटी को नियंत्रित करने वाले नियम:** विभिन्न नियमों का दायरा और अनुप्रयोज्यता।

(ix) **आपूर्ति का अर्थ और दायरा:** कर योग्य आपूर्ति को समझना, आपूर्ति का समय और स्थान, आपूर्ति के लिए भुगतान, सरकारी प्रधिकरणों को और उनके द्वारा आपूर्ति, स्व-आपूर्ति, आपूर्ति की गई वस्तुओं की वापसी, आदि।

(x) **आपूर्ति का मूल्य:** आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कैसे करें, मूल्य में शामिल / बाहर रखे जाने वाले घटक, छूट का निरूपण, निःशुल्क उपहार, कैप्टिव खपत, व्यय की प्रतिपूर्ति, संबंधित व्यापारिक लेनदेन, दूसरे राज्य में स्थित कंपनी को आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य, पुरानी सामाग्री की बिक्री और खरीद आदि।

(xi) **बीजक:** जीएसटी कानून के तहत बीजक (इन्वॉइस) की आवश्यकता, बीजक का प्रारूप और प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण।

(xii) **ई-वे बिल:** ई-वे बिल की अवधारणा और उद्देश्य, ई-वे बिल कैसे प्राप्त करें, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी, ई-वे बिल प्राप्त न करने का निहितार्थ आदि।

(xiii) **इनपुट टैक्स क्रेडिट:** इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवधारणा, जिन मदों पर क्रेडिट लिया जा सकता है, पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट, क्रेडिट लेने की प्रक्रिया, दस्तावेज़ जिन पर क्रेडिट लिया जा सकता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट और उनका उपयोग, जॉब-वर्कर को भेजे गए माल पर क्रेडिट, अमान्य बीजकों (इन्वॉइस) पर क्रेडिट क्यों नहीं लिया जा सकता, नियत दिन पर शेष कर का क्रेडिट, नियत दिन से पहले खरीदे गए माल/इनपुट पर भुगतान किए गए कर का या जिसके लिए भुगतान नियत दिन से पहले या बाद में किया जाता है, का क्रेडिट आदि।

(xiv) **जीएसटी का भुगतान:** जीएसटी के भुगतान का तरीका, जिन शीर्षों के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान किया जाना है, भुगतान करने में तकनीकी गड़बड़ियां और अन्य समस्याएं, यदि कोई हो, अधिक भुगतान किए गए या गलत लेखा शीर्ष आदि के अंतर्गत भुगतान किए गए कर की वापसी ।

(xv) **रिटर्न:** विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करना, रिटर्न दाखिल करने का तरीका, रिटर्न दाखिल करने में माल और सेवा कर व्यवसायियों की सहायता, रिटर्न दाखिल करने में तकनीकी गड़बड़ियां आदि।

(xvi) **आयात/निर्यात/ईओयू/एसईजेड:** आयात और निर्यात, माल और सेवाओं के आयात/निर्यात पर जीएसटी का भुगतान, आयात/निर्यात के लिए दस्तावेज, ईओयू/एसईजेड इकाइयों/एसईजेड डेवलपर्स द्वारा आपूर्ति, निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं पर जीएसटी की धन वापसी आदि, आयात और निर्यात पर जीएसटी का प्रभाव, जीएसटी व्यवस्था में आयात और निर्यात के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं।

(xvii) **धन वापसी:** कर, जिनकी धन वापसी कि जाएगी, धन वापसी का दावा करने की प्रक्रिया, धन वापसी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, धन वापसी का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा, धन वापसी का दावा मंजूर करने में देरी के लिए ब्याज, धन वापसी का दावा खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस, धन वापसी का दावा प्रस्तुत करने में समस्याएं, आदि।

(xviii) **मांग और वसूली:** कर की मांग कब और कैसे की जा सकती है; न्याय कौन करेगा; पुनःप्राप्ति प्रक्रिया; आदि।

(ix) **अपील और संशोधन:** अपील कब दायर की जा सकती है और अपील कैसे की जा सकती है, पूर्व-जमा; अपील दायर करने की समय सीमा; अपील का स्तर; आदि।

(xx) **अपवंचन रोधी जांच:** कानूनी प्रावधान और जांच करने की जिम्मेदारी; जांच के दौरान करदाताओं के अधिकार और दायित्व, की गई जांच के परिणाम; आदि।

(xxi) **जीएसटीएन से इंटरफेस:** करदाताओं को जीएसटी में माइग्रेशन, पंजीकरण आदि सहित ऑनलाइन रिटर्न में दर्ज करने और दस्तावेज दाखिल करने सुविधा प्रदान करना।

(xxii) **सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता:** जीएसटीएन/डीजी, सिस्टम्स, सीबीआईसी के साथ इंटरफेस में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके तकनीकी समस्याओं, यदि कोई हो, (जीएसटीएन/डीजी, सिस्टम्स, सीबीआईसी के हेल्प डेस्क को संदर्भित नियमित मामलों सहित, लेकिन अनसुलझे मामलों सहित) को हल करने में करदाताओं की सहायता करना।

(xxiii) **प्रपत्र, अधिसूचनाएं, आदेश आदि:** यद्यपि जीएसटी का कार्यान्वयन मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संचालित है, जीएसटी सेवा अधिकारी करदाताओं को संबंधित प्रपत्रों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि की मुफ्त प्रतियां उपलब्ध कराएंगे, जिससे उन्हें कानून सुगमता से समझाया जा सके और उसके अनुपालन बढ़ाया जा सके।

(xxiv) **समन्वय सेवाएं:** आयुक्तालय मुख्यालय के किसी अनुभाग/शाखा में लंबित मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने में करदाताओं की सहायता करना; जीएसटी कानून के अनुपालन में करदाताओं की समस्याओं, यदि कोई हो, को हल करने के लिए राज्य जीएसटी अधिकारियों के साथ समन्वय करना।

(xxv) **जीएसटी जागरूकता:** राज्य जीएसटी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्यशाला/सेमिनार/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना और करदाताओं के बीच जीएसटी कानून, उसकी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन के बारे में जागरूकता पैदा करना। जीएसटी सेवा अधिकारी सेवा केंद्र में आने वाले करदाताओं को जीएसटी पर विवरणिका और सूचना पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराएंगे।

(xxvi) **पुराने मामले:** आयुक्तालय के विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान में करदाताओं की सहायता करना।

(xxvii) **संक्रमणकालीन नियम:** वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पंजीकृत व्यक्तियों को जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित करने में सहायता करना और वर्तमान व्यवस्था से जीएसटी में संक्रमण के नियमों को समझने में उनकी सहायता करना।

(xxviii) **मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान:** जीएसटी के साथ, आपूर्ति श्रृंखला पर कर के बोझ में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को मिलने की आशा है। मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान इस अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करते हैं। जीएसटी सेवा अधिकारियों से इन प्रावधानों के बारे में करदाताओं को जागरूक करने की अपेक्षा की जाती है।

(xxix) अधिकतम खुदरा मूल्य नियम: अप्रत्यक्ष कराधान में बदलाव से अधिकतम खुदरा मूल्य कीमतें प्रभावित होती हैं और सरकार ने नए अधिकतम खुदरा मूल्य नियम बनाए हैं। इन नए नियमों को समझने में जीएसटी सेवा अधिकारी करदाताओं की मदद करेंगे।

प्रभागीय जीएसटी सेवा केंद्र: प्रभागीय जीएसटी सेवा केंद्र में तैनात जीएसटी सेवा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे जीएसटी से संबंधित मुद्दों के संबंध में, आयुक्तालय के जीएसटी सेवा केंद्र के लिए उपरोक्त पैरा 2.1 और 2.2 में उल्लिखित विषयों की सांकेतिक सूची के अनुसार करदाताओं की सहायता करें। इसके अलावा, प्रभागीय जीएसटी सेवा अधिकारी:

(i) किसी भी अनसुलझे मुद्दे को तुरंत आयुक्तालय जीएसटी सेवा केंद्र को संदर्भित करेगा और संबंधित अधिकारियों के साथ समुचित संपर्क द्वारा ऐसे संदर्भों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा; और

(ii) आयुक्तालय मुख्यालय के किसी अनुभाग/शाखा में लंबित मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने में करदाताओं की सहायता करेगा।

रेंज जीएसटी सेवा अधिकारी: रेंज अधीक्षक, जिसे रेंज जीएसटी सेवा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, वह आयुक्तालय जीएसटी सेवा केंद्र के लिए उक्त बिंदु संख्या (i) और (ii) में उल्लिखित विषयों की सांकेतिक सूची के अनुसार जीएसटी से संबंधित मामलों के संबंध में करदाताओं की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, यह जीएसटी सेवा अधिकारी किसी भी अनसुलझे मामलों को तत्काल प्रभागीय जीएसटी सेवा केंद्र को भेजेगा। रेंज जीएसटी सेवा अधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ समुचित संपर्क द्वारा ऐसे संदर्भों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

***

2. महत्वपूर्ण कार्यविधि

भुगतान

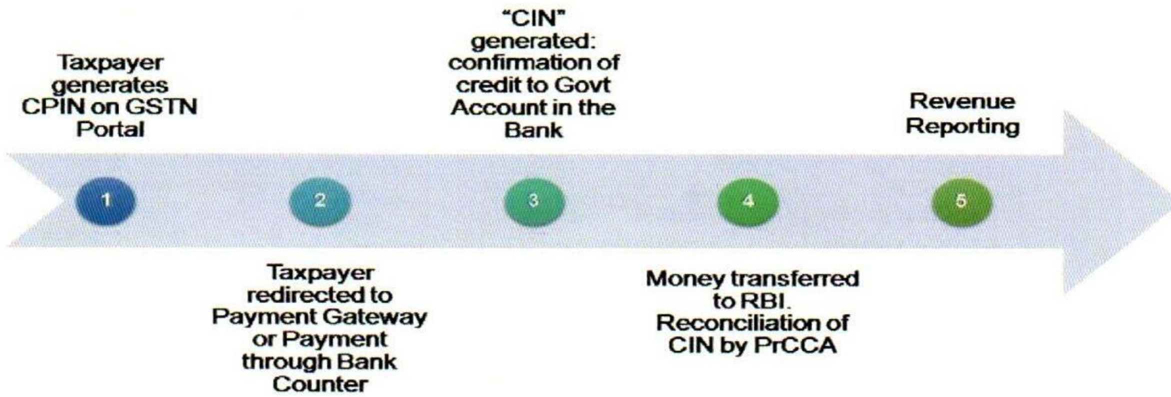

- भुगतान इंटरनेट बैंकिंग (एनईएफटी/आरटीजीएस) या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

धन वापसी (रिफंड)

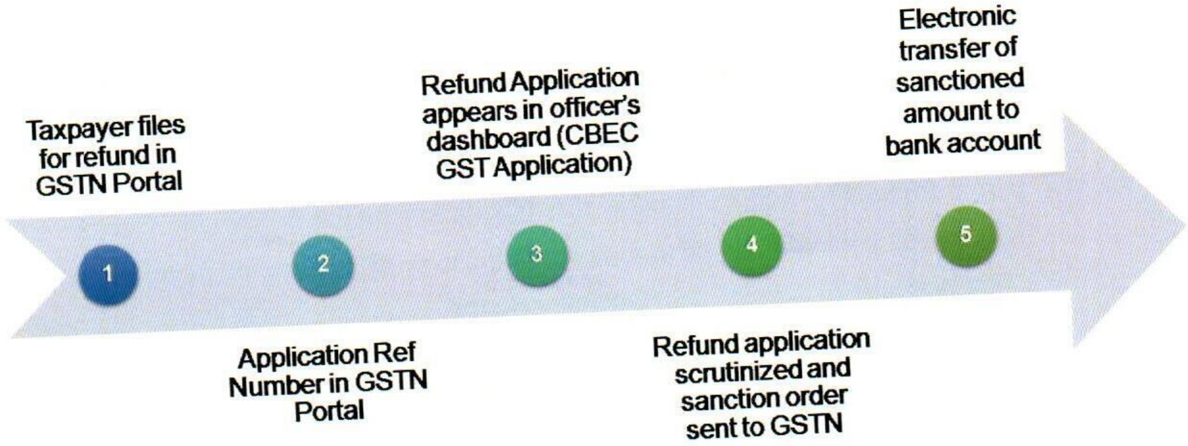

धन वापसी (रिफंड)आवेदन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से सुसंगत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले स्तुत किया जा सकता है।

धन वापसी (रिफंड) का भुगतान आवेदन की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

अधिसूचित श्रेणी के डीलरों को निर्यात धन वापसी (रिफंड) के लिए, 90% रिफंड इस हेतु नियत शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सत्यापन से पहले दिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

https://cbic-gst.gov.in/hindi/pdf/e-version-gst-fliers/eflier-refunds14062017.pdf

https://cbic-gst.gov.in/sectoral-faq.html

इनपुट टेक्स क्रेडिट

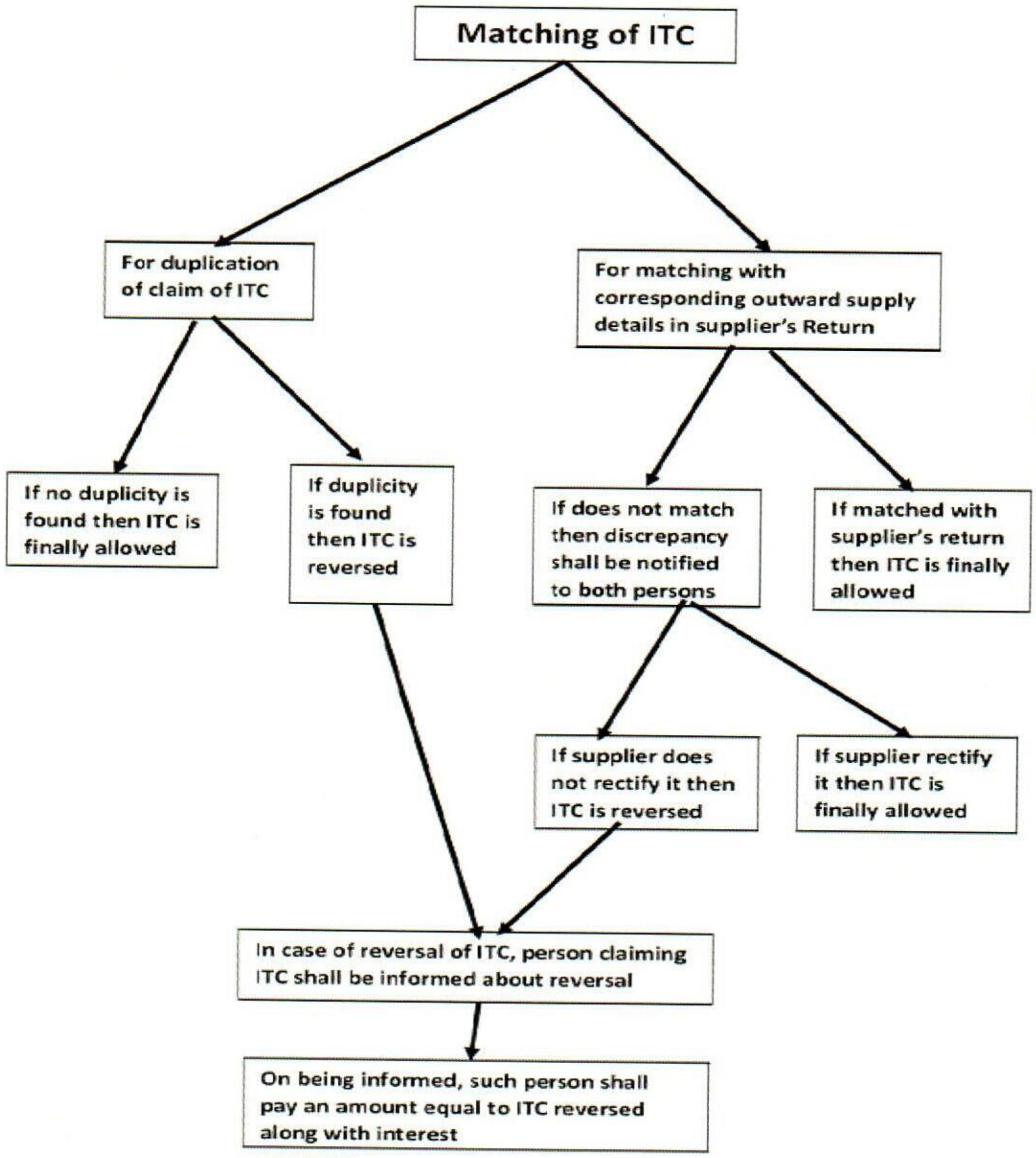

<u>महत्वपूर्ण लिंक</u>

https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/ITC%20_Mechanism.pdf

https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/chapterwise-51gst-flyers

20	GSTR-9C	जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला समाशोधन विवरण, जिनका टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा के अनुसार है।
21	GSTR-10	कर योग्य व्यक्ति द्वारा फ़ाइल किया जाए, जिनका पंजीकरण रद्द या सरेंडर कर दिया गया है
22	GSTR-11	उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जिन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी कर दी गई है।
23	GST CMP-01	स्थानांतरित किए गए उस करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जो कंपोज़ीशन योजना का विकल्प चुनना चाहता है।
24	GST CMP-02	उनके द्वारा कंपोज़ीशन योजना चुनने के बारे में सरकार को बताने के लिए डीलरों द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
25	GST CMP-03	स्थानांतरित किए गए करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाए, जीएसटी सीएमपी-03 फॉर्म के माध्यम से स्टॉक की सरकारी राशि (अपंजीकृत व्यक्तियों से माल की आवक आपूर्ति सहित) को सूचित करने के लिए योजना में शामिल होने की तिथि दर्ज करनी होगी।
26	GST CMP-04	कंपोजिशन योजना से बाहर निकलने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए अपात्र करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
27	GST CMP-05	जीएसटी अधिकारी द्वारा कंपोजीशन स्कीम धारक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाने का प्रारूप
28	GST CMP-06	जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी अधिकारी को सीएमपी-05 में प्राप्त नोटिस के जवाब के रूप में फाइल किया जाना
29	GST CMP-07	कंपोजिशन डीलर को कारण बताओ नोटिस के जवाब की स्वीकृति/अस्वीकृति के आदेश
30	GST CMP-08	जीएसटी के तहत कंपोजिशन योजना का चयन करने वाले प्रत्येक करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
31	GST REG-01	पंजीकरण के लिए आवेदन
32	GST REG-02	पंजीकरण की पावती
33	GST REG-03	आवेदन पंजीकरण, संशोधन, रद्दीकरण से संबंधित अन्य जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज मांगने का नोटिस
34	GST REG-04	फॉर्म जीएसटी आरईजी-03 में जारी नोटिस के संबंध में जवाब प्रस्तुत करना
35	GST REG-05	पंजीकरण, संशोधन या रद्द करने के लिए आवेदन की अस्वीकृति का आदेश
36	GST REG-06	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जो प्रत्येक सफल पंजीकृत

		व्यक्ति/व्यवसायी को जारी किया जाता है
37	GST REG-07	स्रोत पर कर कटौत्रा करने वाले या कर संग्राहक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन
38	GST REG-08	कर कटौत्रा करने वाले या कर संग्राहक अनुभाग के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन रद्द करने का आदेश
39	GST REG-09	अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन
40	GST REG-10	पंजीकृत व्यक्ति के अलावा भारत में किसी व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डेटा बेस एक्सेस सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन।
41	GST REG-11	आकस्मिक / अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा पंजीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन
42	GST REG-12	अस्थायी पंजीकरण/स्व-प्रेरणा से पंजीकरण प्रदान करने का आदेश
43	GST REG-13	संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्रदान करने के लिए आवेदन/प्रपत्र
44	GST REG-14	पंजीकरण विवरण में संशोधन के लिए आवेदन (सभी प्रकार के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए
45	GST REG-15	संशोधन का आदेश
46	GST REG-16	पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन
47	GST REG-17	पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस
48	GST REG-18	पंजीकरण रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दें
49	GST REG-19	यदि पंजीकरण रद्द किया जाना है, तो उचित अधिकारी एफओआर में एक आदेश जारी करेगा
50	GST REG-20	पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश
51	GST REG-21	पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन
52	GST REG-22	पंजीकरण रद्द करने के निरसन के आदेश
53	GST REG-23	पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए कारण बताओ नोटिस
54	GST REG-24	पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन की अस्वीकृति के नोटिस का जवाब

55	GST REG-25	अनंतिम पंजीकरण का प्रमाण पत्र
56	GST REG-26	वर्तमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन
57	GST REG-27	अनंतिम पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस
58	GST REG-28	अनंतिम पंजीकरण रद्द करने का आदेश
59	GST REG-29	स्थानांतरित करदाताओं के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन
60	GST REG-30	फील्ड विजिट रिपोर्ट के लिए प्रपत्र
61	GST ITC-01	धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए घोषणा
62	GST ITC-02	धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन व्यवसाय की बिक्री, विलय, डीमर्जर, समामेलन, लीज के मामले में आईटीसी के हस्तांतरण के लिए घोषणा
63	GST ITC-02A	धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीकरण के अनुसार आईटीसी के हस्तांतरण की घोषणा
64	GST ITC-03	धारा 18 उप-धारा (4) के तहत स्टॉक में रखे इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार और तैयार माल और पूंजीगत सामान पर आईटीसी रिवर्सल/टैक्स के भुगतान की सूचना के लिए घोषणा
65	GST ITC-04	जॉब वर्कर को भेजे गए और वापस प्राप्त माल/पूंजीगत माल का विवरण
66	GST ENR-01	धारा 35(2) के तहत नामांकन के लिए आवेदन
67	GST ENR-02	अद्‌वितीय सामान्य नामांकन संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन
68	GST PCT-01	माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन
69	GST PCT-02	माल और सेवा कर व्यवसायी का नामांकन प्रमाण पत्र
70	GST PCT-03	अयोग्यता के लिए कारण बताओ नोटिस
71	GST PCT-04	माल और सेवा कर व्यापारी के रूप में नामांकन की अस्वीकृति का आदेश
72	GST PCT-05	माल और सेवा कर व्यापारी के लिए अनुज्ञप्ति / अनुज्ञप्ति की वापसी
73	GST PCT-06	माल और सेवा कर व्यापारी के रूप में नामांकन रद्द करने के लिए आवेदन
74	GST PCT-07	माल और सेवा कर व्यापारी के रूप में नामांकन रद्द करने का आदेश

75	GST PMT-01	पंजीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर
76	GST PMT-02	पंजीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
77	GST PMT-03	धनवापसी का दावा खारिज होने पर राशि को नकद या क्रेडिट बही में फिर से जमा करने का आदेश
78	GST PMT-04	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर / कैश लेजर में विसंगति की सूचना के लिए आवेदन
79	GST PMT-05	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
80	GST PMT-06	माल और सेवा कर जमा करने के लिए चालान
81	GST PMT-07	भुगतान से संबंधित विसंगति की सूचना देने के लिए आवेदन
82	GST PMT-09	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में एक खाता शीर्ष से दूसरे खाते में राशि का स्थानांतरण
83	GST RFD-01	धनवापसी के लिए आवेदन
84	GST RFD-01A	आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के लिए लागू
85	GST RFD-01B	धनवापसी आदेश विवरण
86	GST RFD-02	स्वीकृति
87	GST RFD-03	कमी मेमो
88	GST RFD-04	अनंतिम वापसी आदेश
89	GST RFD-05	भुगतान आदेश
90	GST RFD-06	धनवापसी स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश
91	GST RFD-07	स्वीकृत धनवापसी के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश
92	GST RFD-08	रिफंड के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए सूचना
93	GST RFD-09	कारण बताओ नोटिस का जवाब
94	GST RFD-10	संयुक्त राष्ट्र या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संगठन, वाणिज्य दूतावास या विदेशों के दूतावास आदि की किसी विशेष एजेंसी द्वारा धनवापसी के लिए आवेदन।
95	GST RFD-10B	ड्यूटी फ्री दुकान / ड्यूटी पेड दुकान (रिटेल आउटलेट्स) द्वारा धनवापसी के लिए आवेदन
96	GST RFD-11	माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बांड या वचन पत्र प्रस्तुत करना
97	GST ASMT-01	धारा 60 के अधीन तहत अनंतिम मूल्यांकन के लिए आवेदन

98	GST ASMT-02	अनंतिम हेतु अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेज मांगने हेतु सूचना
99	GST ASMT-03	अतिरिक्त जानकारी मांगने वाले नोटिस का उत्तर दें
100	GST ASMT-04	अनंतिम मूल्यांकन का आदेश
101	GST ASMT-05	प्रतिभूति सुरक्षा प्रदान करना
102	GST ASMT-06	अंतिम मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस
103	GST ASMT-07	अंतिम मूल्यांकन आदेश
104	GST ASMT-08	प्रतिभूति सुरक्षा वापस लेने के लिए आवेदन
105	GST ASMT-09	प्रतिभूति सुरक्षा जारी करने या आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश
106	GST ASMT-10	संवीक्षा के पश्चात विवरणी में विसंगतियों की सूचना देने के लिए नोटिस
107	GST ASMT-11	रिटर्न में विसंगतियों की सूचना देने वाली धारा 61 के अधीन जारी नोटिस का जवाब
108	GST ASMT-12	धारा 61 के अधीन जारी नोटिस के खिलाफ उत्तर की स्वीकृति का आदेश
109	GST ASMT-13	धारा 62 के अधीन मूल्यांकन आदेश
110	GST ASMT-14	धारा 63 के अधीन मूल्यांकन के लिए कारण बताओ नोटिस
111	GST ASMT-15	धारा 63 के अधीन मूल्यांकन आदेश
112	GST ASMT-16	धारा 64 के अधीन मूल्यांकन आदेश
113	GST ASMT-17	धारा 64 के अधीन जारी निर्धारण आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन
114	GST ASMT-18	धारा 64 (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति
115	GST ADT-01	लेखापरीक्षा करने के लिए नोटिस
116	GST ADT-02	धारा 65(6) के अधीन ऑडिट रिपोर्ट
117	GST ADT-03	धारा 66 के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के संचालन के लिए पंजीकृत व्यक्ति को पत्राचार
118	GST ADT-04	विशेष लेखापरीक्षा पर निष्कर्षों की जानकारी
119	GST ARA-01	एडवांस रूलिंग के लिए आवेदन पत्र

120	GST ARA-02	एडवांस रूलिंग नियम 106(1) के लिए अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील
121	GST ARA-03	एडवांस रूलिंग नियम 106(2) के लिए अपीली प्राधिकारी को अपील
122	GST APL-01	अपीली प्राधिकारी को अपील
123	GST APL-02	अपील प्रस्तुत करने के लिए पावती
124	GST APL-03	धारा 107 की उप-धारा (2) के तहत अपीली प्राधिकारी को आवेदन
125	GST RVN-01	धारा 108 के तहत नोटिस
126	GST APL-04	अपीली प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के बाद मांग का सारांश
127	GST APL-05	अपीली न्यायाधिकरण को अपील
128	GST APL-06	अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्याक्षेप
129	GST APL-07	धारा 112 की उप धारा (3) के तहत अपील अधिकरण को आवेदन
130	GST APL-08	धारा 117 के तहत उच्च न्यायालय में अपील
131	GST TRAN-1	संक्रमणकालीन आईटीसी / स्टॉक विवरण
132	GST TRAN-2	नियत तिथि पर रखे हुए स्टॉक पर इनपुट का विवरण, जिसके संबंध में उसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज में आगे ले जाए गए कर के भुगतान के सबूत संबंधी चालान/दस्तावेज नहीं है
133	GST EWB-01	ई-वे बिल
134	GST EWB-02	समेकित ई-वे बिल
135	GST EWB-03	सत्यापन रिपोर्ट
136	GST EWB-04	नजरबंदी की रिपोर्ट
137	GST EWB-05	ई-वे बिल बनाने की सुविधा को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन
138	GST EWB-06	ई-वे बिल बनाने की सुविधा को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन को अनुमति/अस्वीकार करने का आदेश
139	GST INV-1	चालान संदर्भ संख्या का सृजन
140	GST INS-01	निरीक्षण या सर्च के लिए अनुज्ञप्ति
141	GST INS-02	जब्ती का आदेश
142	GST INS-03	निषेध का आदेश
143	GST INS-04	जब्त माल के निस्तारण के लिए बांड
144	GST INS-05	खराब होने वाले या खतरनाक प्रकृति के सामान / चीजों के निस्तारण का आदेश
145	GST DRC-01	कारण बताओ नोटिस का सारांश

146	GST DRC-01A	धारा 73(5)/74(5) के अधीन देय होने के रूप में निर्धारित कर की सूचना
147	GST DRC-02	कथन का सारांश
148	GST DRC-03	स्वैच्छिक रूप से किए गए भुगतान की सूचना या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के विरुद्ध किए गए भुगतान की सूचना
149	GST DRC-04	स्वेच्छा से किए गए भुगतान की स्वीकृति की पावती
150	GST DRC-05	कार्यवाही के समापन की सूचना
151	GST DRC-06	कारण बताओ नोटिस का जवाब
152	GST DRC-07	आदेश का सारांश
153	GST DRC-07A	वर्तमान कानूनों के तहत मांग सृजित करने वाले आदेश का सारांश
154	GST DRC-08	संशोधन/वापसी आदेश का सारांश
155	GST DRC-08A	वर्तमान कानूनों के तहत मांग सृजित करने वाले आदेश का सारांश में संशोधन / सुधार
156	GST DRC-09	धारा 79 के तहत निर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से वसूली का आदेश
157	GST DRC-10	अधिनियम की धारा 79(1)(बी) के तहत माल की नीलामी का नोटिस
158	GST DRC-11	सफल बोलीदाता को सूचना
159	GST DRC-12	बिक्री प्रमाण-पत्र
160	GST DRC-13	धारा 79(1)(सी) के तहत किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस
161	GST DRC-14	किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान का प्रमाण-पत्र
162	GST DRC-15	डिक्री के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन
163	GST DRC-16	धारा 79 के तहत अचल/चल माल/शेयरों की कुर्की और बिक्री के लिए सूचना
164	GST DRC-17	धारा 79(1)(डी) के तहत अचल/चल संपत्ति की नीलामी के लिए सूचना

(जीएसटी रिटर्न भरने के लिए) क्यूआरएमपी योजना की शुरूआत:-

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने छोटे करदाताओं, जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है, की मदद के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना शुरू की है। क्यूआरएमपी योजना करदाताओं को तिमाही आधार पर GSTR-3B फाइल करने और कर का भुगतान हर महीने करने की अनुमति देती है।

(सीबीआईसी परिपत्र सं. 143/13/2020-जीएसटी, दिनांक 10.11.2020)

क्यूआरएमपी के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना

सूचना प्रस्तुत करने की सुविधा (आईएफएफ)

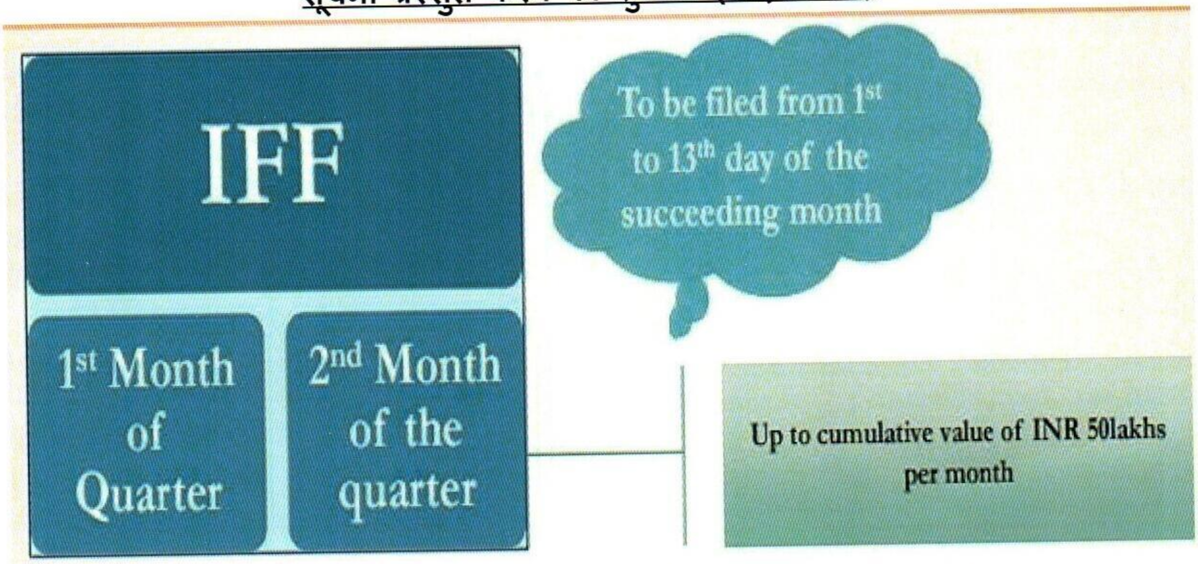

योजना में उपलब्ध ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट के विकल्प

क्रम सं.	वर्ष की विशिष्ट तिमाही	क्यूआरएमपी योजना में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट संभाव्य विकल्प
1	तिमाही 1 (अप्रैल - मई - जून)	1 फरवरी से 30 अप्रैल
2	तिमाही 2 (जुलाई - अगस्त - सितंबर)	1 मई से 31 जुलाई
3	तिमाही 3 (अक्टूबर - नवंबर - दिसंबर)	1 अगस्त से 31 अक्टूबर
4	तिमाही 4 (जनवरी - फरवरी - मार्च)	1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक

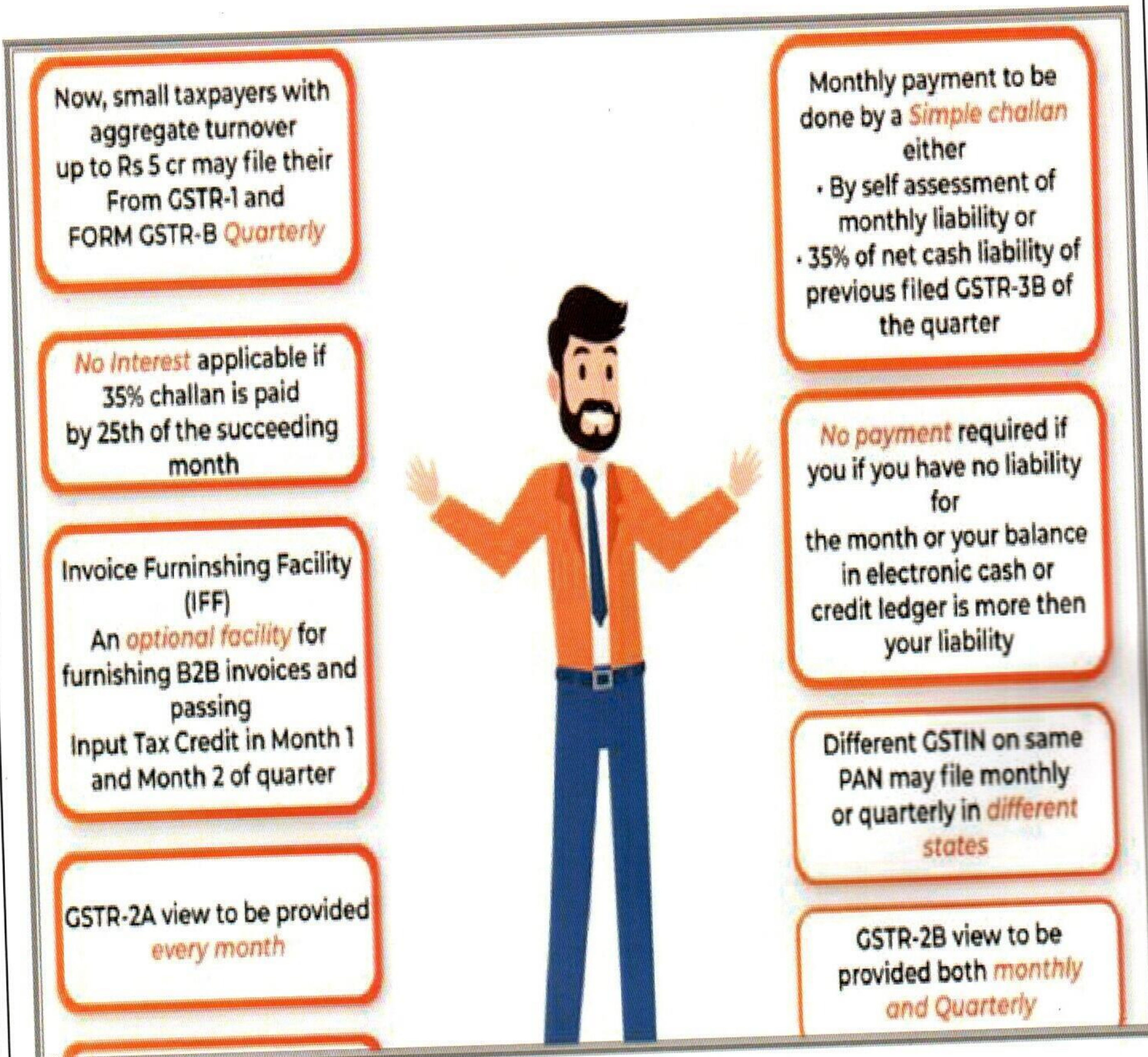

<u>क्यूआरएमपी योजना के लाभ:-</u>

> करदाता का अनुपालन संबंधी भर बहुत कम हो गया है।

> करदाताओं को एक वर्ष में 12 जीएसटीआर-3बी रिटर्न के बजाय केवल 4 जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

> करदाताओं को केवल 4 जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत इनवॉइस फाइलिंग सुविधा (आईएफएफ) प्रदान की जाती है।

> तिमाही के पहले दो महीनों के लिए प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के आधार पर आईएफएफ में चालान विवरण प्रस्तुत करें। शेष बीजक (इन्वाइस) विवरण तिमाही जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

> तिमाही के पहले दो महीनों में फिक्स्ड सम मेथड (पहले से भरे हुए चालान) या सेल्फ असेसमेंट मेथड (आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद देय वास्तविक कर) का उपयोग करके आसानी से मासिक कर का भुगतान कर सकते हैं।

> आसानी से योजना में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं।

3. इंदौर माल और सेवा कर आयुक्तालय का क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	प्रधान आयुक्त / आयुक्त केंद्रीय कर	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
01.	इंदौर	मध्यप्रदेश राज्य का इंदौर और देवास जिले में

केंद्रीय कर आयुक्तालय में कुल प्रभाग और रेंज

क्रम सं.	केंद्रीय कर आयुक्तालय का नाम	प्रभागों की संख्या	रेंजों की संख्या
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
01.	Indore	08	41

भोपाल ज़ोन द्वारा जारी ट्रेड सूचना क्रमांक 04/2017 दिनांक 22.6.2017 का परिशिष्ट-II

केंद्रीय कर आयुक्त, इंदौर आयुक्तालय का प्रभागवार, रेंजवार क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	प्रभाग का क्षेत्राधिकार	प्रभाग की अवस्थिति	रेंज का नाम	रेंज की अवस्थिति	रेंज का क्षेत्राधिकार
1.	**इंदौर-I**	कैट चौरा से फूटी कोठी तक सड़क के बायीं ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा से बड़ा गणपति तक और सड़क के बायीं ओर से बड़ा गणपति से लेकर देपालपुर तहसील तक और सड़क के बायीं ओर।	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 से 2 तथा चंदन नगर चौराहे से बेटमा तक धार रोड के दोनों ओर के करदाता।
				रेंज - II	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 तथा 15 के करदाता।
				रेंज - III	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 6 (इंदौर-I प्रभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाला क्षेत्र) और 70 के क्षेत्र के करदाता
				रेंज - IV	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 71, 83, 84 और 85 क्षेत्र के करदाता और इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं
				रेंज - V	इंदौर	देपालपुर तहसील के सभी करदाता सभी
2.	**इंदौर-II**	बड़ा गणपति से देपालपुर रोड तक सड़क के दायीं ओर से, और बड़ा गणपति से किला मैदानसे मरीमाता चौराहा तक सड़क के बायीं ओर, और इंदौर जिले के सांवेर तहसील तक सांवेर रोड के बायीं ओर	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 7 और 13 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 18 के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर ए और बी के क्षेत्र के करदाता
				रेंज - III	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 18 के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर ई क्षेत्र के करदाता
				रेंज - IV	इंदौर	इंदौर नगर निगम इंदौर के वार्ड संख्या 9 एवं 17 के, किला मैदान औद्योगिक क्षेत्र एवं छोटा बांगड़ा रोड के दोनों ओर के क्षेत्र के करदाता
				रेंज - V	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के क्षेत्र के करदाता और इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

3.	**इंदौर-III**	इंदौर जिले की सांवेर तहसील के मरीमाता चौक से सांवेर रोड से सांवेर तक रोड के दाहिनी ओर तथा मारी माता चौराहे से जेल तक राजकुमार मिल से पाटनीपुरा तक ए.बी. रोड पर रसोम लैब चौराहा से देवास तक एबी रोड की सड़क और बायीं ओर।	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर "सी" क्षेत्र के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर "डी" और "एफ" क्षेत्र के करदाता
				रेंज - III	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 22, 28 और 29 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - IV	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 23 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - V	इंदौर	देवास नाका से देवास (लसूडिया मोरी औद्योगिक क्षेत्र) तक एबी रोड के बाईं ओर और इस मंडल के अन्य सभी करदाता निर्धारिती जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।
4.	**इंदौर-IV**	भवरकुआं चौराहे से देवास तक ए.बी. रोड के दायीं ओर और भंवरकुआं से सिमरोल तक खंडवा रोड के बायीं ओर।	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 30 और 31 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 40, 41 और 42 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - III	इंदौर	एसआर कंपाउंड और एसडीए कंपाउंड क्षेत्र के और इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 37 क्षेत्र के करदाता और डकचिया, बरलाई, लसूदिया मोरी, मायाखेड़ी, अरंडिया, ग्राम निपनिया, ग्राम पिपलियाकुमार के गांवों के करदाता।
				रेंज - IV	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 48, 49, 52, 53 और 54 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - V	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 64 और 75 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - VI	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 51 क्षेत्र के करदाता और इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं
				रेंज - VII	इंदौर	तेजाजी नगर से देवास तक ए बी रोड के दाईं ओर के क्षेत्र के करदाता और नेमावर रोड के दोनों तरफ लखानी चौराहा क्षेत्र बाईपास सड़क (रालामंडल और

						मिर्जापुर गांव सहित) इंदौर जिले के करदाता।
5.	इंदौर-V	पलासिया चौराहे से भंवरकुआं तक एबी रोड के दायीं ओर और भंवरकुआं से सिमरोल तक खंडवा रोड के दायीं ओर और पलासिया चौराहा से शास्त्री ब्रिज तक सड़क के बायीं ओर और शास्त्री ब्रिज से पटेल ब्रिज तक सड़क के बायीं ओर और पटेल ब्रिज से राजमोहल्ला तक सड़क के बाईं ओर और राजमोहल्ला से कैट चौराहा तक सड़क के बायीं ओर।	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 77, 80, 81 और 82 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 66 और 78 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - III	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 73 और 74 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - IV	इंदौर	महू और राऊ के आसपास का संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र
				रेंज - V	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 63 क्षेत्र के करदाता और इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
6.	इंदौर-VI	पलासिया चौराहा से एमजी रोड, शास्त्री ब्रिज से बड़ा गणपति तक	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	नगर निगम इंदौर के वार्ड संख्या 60 में कोष्टी समाज की धर्मशाला से सियागंज पुलिस चौकी तक के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	वार्ड संख्या 60 के क्षेत्र के करदाता, जो इस प्रभाग के रेंज- I के अंतर्गत नहीं आते हैं।

		सड़क के दायीं तरफ और बड़ा गणपति से मरीमाता चौराहा से जेल से राजकुमार मिल से पाटनीपुरा से ए.बी. रोड पर रसोमालैब चौराहा तक और रसोमा लैब चौराहा से लेकर पलासिया चौराहे तक एबी रोड के दाहिने ओर।		रेंज - III	इंदौर	जेल रोड, इमली बाजार, खजूरी बाजार और आड़ा बाजार क्षेत्र के करदाता।
				रेंज - IV	इंदौर	सराफा बाजार, बर्तन बाजार, मारोठिया और बोहरा बाजार क्षेत्र के करदाता
				रेंज - V	इंदौर	एमटीएच क्लॉथ मार्केट से बड़ा गणपति तक के क्षेत्र के करदाता और इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
7.	**इंदौर-VII**	शास्त्री ब्रिज से बड़ा गणपति तक एमजी रोड की बायीं ओर और बड़ा गणपति से राजमोहल्ला होते हुए पटेल ब्रिज तक सड़क की बायीं ओर और रेलवे लाइन के पार पटेल ब्रिज से शास्त्री ब्रिज तक सड़क की बायीं ओर।	इंदौर	रेंज - I	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 46 और 47 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - II	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 25 और 26 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - III	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 57 और 58 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - IV	इंदौर	इंदौर नगर निगम के वार्ड संख्या 56 क्षेत्र के करदाता
				रेंज - V	इंदौर	इस प्रभाग के अन्य सभी करदाता, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं

8.	**देवास**	इस प्रभाग का क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य के संपूर्ण देवास जिले में फैला हुआ है।	देवास	रेंज - I	देवास	शिप्रा नदी से देवास बायपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 (एबी रोड) के दोनों तरफ का संपूर्ण क्षेत्र। देवास इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 1 टाटा इंटरनेशनल से टाटा चौराहा तक सड़क के किनारे बाईं ओर। देवास बायपास रोड के दाहिनी ओर भोपाल चौराहे तक। उज्जैन रोड तिराहे से मस्की बायपास चौराहा तक ए.बी. रोड के बायीं ओर
				रेंज - II	देवास	मैसर्स नवीन फ्लोरीन लिमिटेड, **100%** ईओयू, औद्योगिक क्षेत्र संख्या **2**, देवास सहित एमपीएकेवीएन के औद्योगिक क्षेत्र संख्या **2** के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में शामिल हैं। सयाजी द्वार से मक्सी बायपास चौराहा तक सड़क और पूर्व में बाईपास रोड तक एबी के दाईं ओर का पूरा शहरी क्षेत्र।
				रेंज - III	देवास	टाटा चौराहा से देवास शहर तक औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक **1** का संपूर्ण क्षेत्र। एबी रोड के बायीं ओर उज्जैन रोड कॉर्नर तक नगर क्षेत्र।
				रेंज - IV	देवास	एमपीएकेवीएन के औद्योगिक क्षेत्र संख्या **3** के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र। विकास नगर बावड़िया से सयाजी द्वार तक तथा पूर्व में बायपास रोड तक सड़क एबी रोड के दाईं ओर पूरा शहर क्षेत्र। । उपरोक्त रेंज **I** से **III** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर देवास जिले का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें सिया औद्योगिक क्षेत्र, सोनकच्छ तहसील, बागली तहसील, कन्नौद और टोंक खुर्द तहसील शामिल हैं और देवास का शेष शहरी क्षेत्र शामिल है।

3. अपने निकटतम जीएसटी सेवा केंद्र का पता लगाएं और संपर्क करें

प्रभाग का नाम	अधिकारी का नाम	डाक का पता	ई-मेल
इंदौर-I	श्रीमती वीणा विपट, अधीक्षक (तक.)	**208**, बी ब्लॉक, कॉरपोरेट हाउस, आरएनटी मार्ग, इंदौर	Hod-gstindorediv1@gov.in
इंदौर -II	**श्री रमेश चन्द्र टेटवा** अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	Cgst-indorediv2@gov.in
इंदौर -III	श्री प्रहलाद अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	Cgst-indorediv3@gov.in
इंदौर -IV	**श्री कौशलेन्द्र गौड़** अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	Cgst-indorediv4@gov.in
इंदौर -V	**श्रीमती दिव्य पाटनी** अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	cgst-indorediv5@gov.in
इंदौर -VI	श्री कैलाश हठीला अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	Cgst-indorediv6@gov.in
इंदौर -VII	**श्री दिनेश चोपड़ा** अधीक्षक (तक.)	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर	Gstindore-div7@gov.in
देवास	**श्री नन्द किशोर बेंडवाल** अधीक्षक (तक.)	प्लॉट नंबर **1**, औद्योगिक क्षेत्र नंबर **3**, एबी रोड, देवास	Hoocgstdiv-dewas@gov.in

6. जीएसटी सेवा केंद्र के अधिकारी और कार्य-समय

आयुक्तालय के जीएसटी सेवा केंद्र में एक अधीक्षक और एक निरीक्षक तैनात, जो एक उप/सहायक आयुक्त की समग्र देखरेख में काम करेंगे।

करदाता-सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, अत्यावश्यकता के मामले में प्रत्येक जीएसटी सेवा केंद्र में अधिकारियों की एक *बैक-अप* टीम तैयार रखी जाएगी। रेंज जीएसटी सेवा अधिकारी के लिए भी *बैक-अप* अधिकारी तैयार रखा जाएगा।

प्रत्येक तिमाही में सहायता प्राप्त करने वाले करदाताओं की संख्या की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर जीएसटी सेवा केंद्रों में अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

जीएसटी के इस विशेष पहलू के लिए किसी अधिकारी की रुचि और उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण किया जाएगा। सभी अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए कार्य के सभी पहलुओं भली-भाँति परिचित होना चाहिए और उन्हें संबन्धित विषय विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

जीएसटी सेवा केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक कार्य करेंगे।

***

7. महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

सं	नाम	कार्यालय का पता	टेलीफोन नं.
1	अध्यक्ष सी बी आई सी	नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली 110001	011-23092849(O) 011-23092890(F)
2	सदस्य (जीएसटी व आईटी), सी बी आई सी		011-23092568(O) 011-23092308(F)
3	अध्यक्ष जीएसटीएन	ईस्ट विंग 4था तल, एयरो सिटि नई दिल्ली 110037	011-49111200
4	प्रधान आयुक्त सी जी एस टी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर	माणिक बाग पैलेस इंदौर	0731-2762222, 0731- 2360590

- सी बी ई सी मित्र निःशुल्क हेल्पलाइन:1800-1200-232
- जीएसटीएन हेल्पलाइन:0124-4688999
- https://selfservice.gstsystem.in/
- https://cbic-gst.gov.in/cbec-portal-ui/?webticketing

8. मार्गदर्शन मैनुअल का संशोधन

इस मार्गदर्शन मैनुअल वर्जन 2.0 की परिकल्पना एक जीवंत दस्तावेज के रूप में की गई है। अतः, इसे किसी भी सुसंगत विकास और करदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर नियमित रूप से संपादित और अद्यतन किया जाएगा।

इस मार्गदर्शन मैनुअल का आवधिक संपादन और अद्यतनीकरण छह मासिक आधार पर किया जाएगा और यह कार्य प्रधान आयुक्त के कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।